फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भंवरसिंह

बनाम

विपक्षी : श्री कैलाशपुरी व अन्य

पत्रावली संख्या : 66 / 24

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 02.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2, 3 मय विपक्षी संख्या 2, 3 अनुपस्थित। विपक्षी संख्या 1, 4, 5, 6 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः विपक्षी संख्या 1 से 6 के अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 7 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 7 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार हैं। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से सीमा को लेकर विवाद रहता है जिससे पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 6 अनुपस्थित है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. 1395, 1729 / 1393 में प्रार्थी संख्या 1 खातेदार है। प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. 1707 / 1393 में प्रार्थी संख्या 1 व 2 खातेदार हैं व प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. 1394 में प्रार्थी संख्या 1, 3 से 6 खातेदार है। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र पर आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्थरगढी किये जाने से प्रार्थी एवं विपक्षी की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमाकंन हो जायेगा तथा भविष्य में सीमा संबंधित विवाद नहीं रहेंगा जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बरोडिया पटवार हल्का बरोडिया, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की खाता संख्या नया 168 की आराजी न. 1395, 1729 / 1393 किता 2 रकबा 0.4300 है. भूमि तथा खाता संख्या नया 169 की आराजी न. 1394 किता 1 रकबा 0.8600 है. तथा खाता संख्या नया 170 की आराजी नं. 1707 / 1393 किता 1 रकबा 0.5400 है. भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000 / – एक हजार. रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित [illegible] है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कराई जाकर [illegible] करें यदि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम व रेकर्ड में [illegible] हो [illegible] पत्थरगढी नहीं की जावें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्ति [illegible] नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेंगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:27:35 IST
Reason: SelfAttested